कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/माध्यमिक/अ–4/केमाशिबो/2011–12/ दिनांक : 25-01-2011

विज्ञप्ति

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं0	विवरण	निर्धारित तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना	15 फरवरी 2011
2	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुसंषा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना	31 मार्च, 2011

संबद्वता हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र,शपथ पत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(भास्कर ए0 सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/माध्यमिक/अ–4/केमाशिबो/2011–12/ दिनांक : 25-01-2011

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

विषय :– केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत।

गैर सरकारी मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड /सी.आई. एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु सत्र 2011–12 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ अंकित है। संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के तीन दिन में निरीक्षण दल का गठन कर निरीक्षण दल से एक सप्ताह में निरीक्षण प्रतिवेदन मय टिप्पणी के प्राप्त करें। निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की पर्याप्तता तथा विद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट टिप्पणी करें। निरीक्षण दल की टिप्पणी की समीक्षा कर विद्यालय का आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को निम्न तिथियानुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना है :–

(1) निर्धारित तिथियाँ इस प्रकार से है :–

क्र0स0	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना	15 फरवरी, 2011
2	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय का उपलब्ध करवाना	31 मार्च, 2011

(2) प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार शुल्क देय है।

- आवेदन शुल्क – 5,000 रूपये
- अनापत्ति प्रमाण पत्र – 15,000 रूपये
- शिथिलन शुल्क – उच्च प्राथमिक स्तर के न्यूनतम 3 सत्र के अनुभव में शिथिलन चाहने पर निम्नानुसार शुल्क देय होगा
  - एक सत्र के शिथिलन पर – 5,000 रूपये
  - दो सत्र के शिथिलन पर – 10,000 रूपये
  - तीन सत्र के शिथिलन पर – 15,000 रूपये

नोट :– समस्त शुल्क सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशंसा की जानी आवश्यक है, सशर्त (conditional) अनुशंसा किये जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

(भास्कर ए0 सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
(2) सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर
(3) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र सत्र 2011–12

1	संस्था का नाम		
1	विद्यालय का नाम		
2	रजिस्ट्रेशन की संख्या		
3	विद्यालय का वर्तमान स्तर		
4	संस्था अनुदानित है अथवा नहीं		
5	शिक्षा का माध्यम (हिन्दी/अंग्रजी)		
6	सी0बी0एस0ई0/सी0आई0एस0सी0ई0 में से किससे सम्बद्धता चाहते है		
7	निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें।		
	1	शुल्क का विवरण	

आवेदन शुल्क	अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क	शिथिलन शुल्क	कुल शुल्क	बैंक डाफ्ट का विवरण
5000	15000			

	2	उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता आदेश की प्रमाणित प्रतियां	
	3	कक्षावार छात्र/छात्रा संख्या का चार्ट	
	4	समिति/ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रति	
	5	रजिस्ट्रार से प्रमाणित विधान की प्रति	
	6	रजिस्ट्रार से प्रमाणित प्रबन्ध समिति के नामों की प्रति (न्यूनतम 15 सदस्य)	
	7	प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रति	
	8	पी0डब्लू0डी0 अभियन्ता द्वारा प्रमाणित भवन का ब्ल्यू प्रिन्ट	
	9	पी0डब्लू0डी0 अभियन्ता द्वारा जारी नवीन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र	
	10	गत तीन वर्षो का वित्तीय आय प्रमाण पत्र	
	11	संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा 10 रूपयें के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र	
	12	कार्यरत कर्मचारियों का निरीक्षण दल के संयोजक द्वारा सत्यापित संस्थापन विवरण (नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वेतनमान, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता)	
	13	विद्यालय भवन में अग्नि शमन संयत्र स्थापित होने का, मोबाईल टावर विद्यालय में नही होने का तथा विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत तार नही गुजरने का निरीक्षण दल के संयोजक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएं पूर्णतः सही है। इनसे संबंधित सभी मूल अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित है।

नोटः– 1. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सभी छाया प्रतियॉ निरीक्षण दल के संयोजक अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रमाणित होनी चाहिए।

2. बिन्दु सं. 12 में वर्णित कर्मचारियों का संस्थापन विवरण प्रस्तुत करना है जिसे निरीक्षण दल के द्वारा सत्यापित किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ कर्मचारियों के प्रमाण पत्र/अंकतालिकाओं की छाया प्रतियां संलग्न नहीं करें।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मुहर

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

निरीक्षण दल की टिप्पणी मय हस्ताक्षर : अनुशंषा की जाती है/ नही की जाती है, क्योकि ....
....

जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा : अनुशंषा की जाती है/ नही की जाती है, क्योकि ....
....

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

शपथ पत्र का प्रारूप

10 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा अभिप्रमाणित हो

(1) विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली / सी.आई.एस.सी.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त होने पर संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1992 के समस्त प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः पालना की जाएगी तथा राज्य/राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्राप्त आदेश/निर्देशानुसार भागीदारी निभाई जाएगी ।

(2) विद्यालय द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 1 की पूर्णतः पालना नहीं करने अथवा भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं 1992 के तहत विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को सम्बद्धता हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मान्यता रद्द की जा सकेगी ।

(3) संस्था वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से मान्यता प्राप्त है । सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. से सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त होने पर उस बोर्ड से मान्यता समाप्त करा लेगी। मान्यता समाप्त होने के पश्चात् ही सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. से मान्यता प्राप्त करेगी। अन्यथा स्थिति में संस्था के विरूद्ध विभागीय/कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) संस्था अनुदानित है/ अनुदानित नहीं है । अनुदानित की स्थिति में भविष्य में अनुदान सूचि से अपना नाम हटवाने के लिए सहमत है तथा भविष्य में अनुदान दिये जाने की मांग नहीं करेगी ।

शपथगृहिता

अध्यक्ष/सचिव